घोषणापत्र

युवा और प्रकृति के आंदोलन के अधिकार: सभी भावी पीढ़ियों के लिए प्रतिमान स्थानांतरण

घोषणा घोषणा की पहल, अर्थ लॉ सेंटर और ग्लोबल अलायंस फॉर द राइट्स ऑफ नेचर यूथ हब और सत्र उपस्थित सभी लोगों के सहयोग से

हम,युवा IUCN ग्लोबल यूथ समिट (अप्रैल 5-16 वीं 2021), में एकत्र हुए, सामूहिक सीखने और ज्ञान साझा करने के प्रयास में जुड़े ,हम हमारे समान लक्ष्यों और बदलाव की मांग के लिए एकजुट हो।

युवा में वो अद्वितीय दृढ़ संकल्प की क्षमता है जो वर्तमान मानव केंद्रित प्रतिमान को एक ऐसे भविष्य में स्थानांतरित करने में सक्षम है जिसमें मानव व पूरे पृथ्वी समुदाय के बीच सामंजस्य हो।

युवा एक ऐसी दुनिया में आज पैदा हुए हैं जहां प्रदूषण का अतिभार है और जिसमें पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए आवश्यक प्राकृतिक चक्र के ऊपर संकट बढ़ रहे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और वैश्विक COVID महामारी।

हम मानते हैं कि बढ़ते अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और सम्मेलनों के बावजूद, संरक्षण लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया है और इन मानदण्डों में भविष्य में और गिरावट और प्रदूषण को रोकने के लिए हो रही कार्रवाई अपर्याप्त है।

हम मानते हैं कि मानव जाति की भलाई और उसका अस्तित्व, जीवमंडल और इसके घटको की पारिस्थितिक प्रणालियों और घटकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने से, उसके संरक्षण से व पर्यावरण की बहाली पर निर्भर करता है।

हम यह भी मानते हैं कि मनुष्य धरती रूपी माता का एक हिस्सा मात्र है, और हमें वर्तमान मानव केंद्रित प्रतिमानों को बदलना होगा जो मानते हैं कि पृथ्वी पर सिर्फ मनुष्यों का स्वामित्व और प्रभुत्व है।

हम अन्य मनुष्यों और सामाजिक और पर्यावरण न्याय आंदोलनों के साथ अपनी एकजुटता को पहचानते हैं। सबके बीच सेतु स्थापित करते हुए प्रकृति, भविष्य की पीढ़ियों, स्थानीय समुदायों और मूल निवासी लोगों के अधिकारों को समान रूप से पहचानने और समर्थन करने की मांग करते हैं।

हम IUCN और अन्य संस्थानों (जैसे संयुक्त राष्ट्र सद्भाव वि द नेचर प्रोग्राम) और कन्वेंशन (जैसे 2020 उपरांत फ्रेमवर्क पर जैव विविधता कन्वेंशन) के अंतर्गत प्रकृति के अधिकारों की मान्यता का समर्थन करते हैं।

हम, इस सत्र में भाग लेने वाले युवा, ऐसे भविष्य के विकास की दिशा में कार्रवाई और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करते हैं जिसमें मनुष्य और प्रकृति का सद्भावपूर्ण सहअस्तित्व हो।

हम प्रकृति हैं। हमेशा की तरह व्यापार, विकल्प नहीं है।

समर्थक प्राधिकरण

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कई अवसरों पर प्रकृति के अंतर्भूत मूल्य को पहचानने वाले समग्र प्रशासन की आवश्यकता और दक्षता को पृथ्वी के लिए न्यायोचित माना है। 'प्रकृति के साथ सद्भाव', के ढांचे में यह अंतर्निहित ही है जैसा कि कई संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्तावों (जैसे ए/आरईएस/75/220): 'प्रकृति के अधिकार' कानूनी और नीति गत बदलावों को 20 से अधिक देशों ने न्यायिक निर्णय के रूप में सामने रक्खा है।

IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस (WCC) 2012 में, संघ के सदस्यों ने प्रस्ताव 100 पारित किया: "IUCN के निर्णयों में सगंठनात्मक केंद्र बिंदु के रूप में प्रकृति के अधिकारों का समावेश।" इस सकंल्प के अंतर्गत IUCN ने एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करने का आह्वान किया, जिसमें IUCN की समस्त योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं में उसके मौलिक और प्रमुख तत्वों के साथ प्रकृति के अधिकारों का भी समावेश हो। IUCN की अधिकार की नीति "मानव कल्याण के दर्शन के क्षेत्र में योगदान देने वाली हो।"

इसके अतिरिक्त, 2008 WCC में, IUCN ने संकल्प 4.099 पारित किया, जिसमें स्वीकार किया कि "दुनिया की भाषाओं की एक बड़ी संख्या में प्रकृति की अवधारणा के लिए कोई एक सटीक शब्द या सम्बोधन की कमी है। 'Nature' जिसका IUCN उपयोग करता है। इसके बजाय जो शब्द या शब्द समूह वे उपयोग करते हैं, उनमें मानव-जाति, कृषिजैविक-विविधता और गैर-भौतिक वस्तुएं, शामिल होती हैं, जिन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक सजीव और अक्सर प्रकृति का अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है..... और ऐसी कई अवधारणाएँ 'प्रकृति' शब्दार्थ से अधिक संपूर्ण भी होती हैं उदाहरण के लिए सामान्य अनुवादित शब्द या वाक्यांश: 'माँ', 'धरती माँ', 'माँ जो सभी चीजों को संभव बनाती हैं', 'सभी प्राणियों का समुदाय', 'पृथ्वी समुदाय', 'सभी का स्रोत', 'स्व-पुनर्जीवित करना', 'एंजल', या 'आत्मा'।

इसी तरह, संयुक्त राष्ट्र विश्व चार्टर फॉर नेचर (1982) ने स्वीकार किया कि "मानव जाति प्रकृति का एक हिस्सा है" और यह कि “प्रकृति के साथ रहने से मनुष्य को अच्छे जीवन जीने के बेहतरीन अवसर मिलते हैं।" यह देखते हुए कि "हर जीवन रूप ... को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है भले ही वह मानव के काम का हो या ना हो", चार्टर एक ऐसी नैतिक आचार संहिता की बात करता है जिसमें मानव को यह निर्देश है कि उसकी सभी गतिविधियों में अन्य सभी जीवों का सम्मान सुनिश्चित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, चार्टर यह मानता है कि निर्णय प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य की अपनी सभी आवश्यकताएं "प्राकृतिक प्रणालियों के समुचित कार्य को सुनिश्चित करके" ही पूरी होनी चाहिए।

भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, साथ ही धरती माँ के प्रति हमारे सदाचार और नैतिक विचारों, हमारी धारणाएं और मूल्य संरक्षण और कानून के निर्धारण में इसकी भूमिका भी।

इसके अतिरिक्त, 2021 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने पहली संश्लेषण रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक था: "मेकिग पीस विथ नेचर " जिसमें यह बताया कि, "सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों

में बदलाव का अर्थ है, प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को सुधारना, इसके मूल्य को समझना और हर निर्णय-प्रक्रिया के केंद्र में इस मूल्य को रखना।"

<u>प्रथम IUCN यूथ ग्लोबल समिट के सत्र "युवा और प्रकृति के आंदोलन के अधिकार: सभी भावी पीढ़ियों के लिए प्रतिमान स्थानांतरण" में प्रतिभागी के रूप में हम :</u>

प्रतिज्ञा करें प्रकृति और भावी पीढ़ियों के मौलिक और अविभाज्य अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे : हमारे व्यक्तिगत प्रयास के साथ प्रणालीगत परिवर्तन के लिए संघर्ष करेंगे।

प्रतिज्ञा करें ऐसे अतिरिक्त जगह बनाने के लिए जो युवाओं को पर्यावरण आंदोलन में समान साझेदार के रूप में सहयोग करने का अवसर दें क्योंकि अविकसित देशों, हाशिए पर रहने वाले समूहों, बीआईपीओसी(BIPOC) समुदायों की देखभाल और सभी विषयों विज्ञान, कानून, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र इत्यादि तक पहुंच आवश्यक है।

प्रतिज्ञा करें स्वयं से प्रति दिन प्रश्न करेंगे कि "मैंने आज प्रकृति के लिए क्या किया है।"

प्रतिज्ञा करें प्रकृति के साथ हमारे संबंध को बहाल करने के लिए काम करने की, जैसे प्रत्यक्ष विसर्जन के माध्यम से, हमारे समुदायों में शैक्षिक पहल के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने से और जिस तरह से हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं, उसको समझना (और बदलना)।

प्रतिज्ञा करें प्रकृति के अधिकारों को कागज़ से निकालकर अमल में लाने की, प्रकृति को महत्व देने की दिशा में हमारी सोच में बदलाव की, ऐसे तरीके सीखने की जिनकी मदद से प्रकृति और भविष्य की पीढ़ियों के हम अच्छे प्रबंधक बन सकें, जिसमें प्रकृति के अधिकारों को लागू करने के लिए अपने स्वयं के काम, संगठनों और स्थानों को देखना शामिल हो।

प्रतिज्ञा करें हमारे स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में प्रकृति के अधिकारों को शामिल किया जाए। ऐसे उपाय हों कि सभी विषयों और अध्ययनों के साथ इसका समावेश हो सके और कम उम्र से ही इस ज्ञान को स्थापित करने का अनुरोध किया जाए।

प्रतिज्ञा करें हमारे कार्यों, भाषा और आयोजन में प्रतिच्छेदन हो, साझा लक्ष्य ढूंढें और स्वीकार करें और अन्य मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करें।

प्रतिज्ञा करें स्थानीय भूमि और जल को जानने की जिसपर हम अपना अधिकार समझते हैं, उनके विषय मे कुछ अतिरिक्त जानने की, उन सन्धियों को जानें जिनके तहत इनपर नियंत्रण है,और जानें कैसे युवा, स्थानीय के अधिकारों और संप्रभुता का समर्थन करें।

प्रतिज्ञा करें भागीदारी वैज्ञानिक संसाधनों के प्रयोग और प्रोत्साहन से समाज के सशक्तिकरण की और वैज्ञानिकों को डेटा उत्पन्न करने में मदद करने की।

प्रतिज्ञा करें हमारी खपत/उपभोग में और दैनिक गतिविधियों में सावधानी बरतने की, पृथ्वी के समुदायों और भविष्य की पीढ़ियों पर हमारे कार्यों के प्रभावों पर विचार करने की, हमारे उपयोग के उत्पाद कहां से प्राप्त हैं और हमारी विशेष सहूलतें का स्त्रोत क्या है इसको समझने की।

<u>प्रथम IUCN यूथ ग्लोबल समिट के सत्र "युवा और प्रकृति के आंदोलन के अधिकार: सभी भावी पीढ़ियों के लिए प्रतिमान स्थानांतरण" में प्रतिभागी के रूप में हम :</u>

IUCN कांग्रेस, परिषद, सदस्य संगठनों, विशेषज्ञों, आयोगों और सचिवालय को संकल्प 100 में पहचानी गई प्रकृति के अधिकारों के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए **आग्रह** करते हैं, निम्न उदाहरण से :

- पृथ्वी न्यायशास्त्र और प्रकृति के अधिकारों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन को प्रेरित करना और बढ़ावा देना, और ज्ञान और उपकरण उत्पन्न करना (जैसे ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना) प्रकृति / माँ पृथ्वी की और उसके साथ हमारे संबंधों और जिम्मेदारियों की अधिक व्यापक समझ ;
  - माँ पृथ्वी / प्रकृति को उसके सभी रूपों (नदियों, महासागर, राष्ट्रीय उद्यानों आदि को कानूनी अधिकार) के साथ समग्रता में एक पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में मान्यता ;
  - मानव अधिकारों की प्रकृति के अधिकारों के रूप में व्याख्या करना (अर्थात स्वस्थ पर्यावरण के लिए मानव का अधिकार भी स्वस्थ पर्यावरण के लिए प्रकृति का अधिकार है) ;
  - ऐसे तरीके बनाना / या बढ़ावा देना, जिसमें हम प्रकृति के मूल्य को समझते हैं और उस मूल्य को अपने निर्णयों के केंद्र में रखना (प्रकृति के गैर-उपभोग्य मूल्य को शामिल करना और भावी पीढ़ियों पर प्रभाव का लागत-लाभ विश्लेषण) ;
  - पृथ्वी के साथ मानव जुड़ाव के संबंध में निर्णय लेते समय (और सहमति देना) स्वदेशी कानून और ज्ञान प्रणालियों को संज्ञान में लेना होगा जो उस समझ का हिस्सा है जहां संसाधनों के उपयोग के बजाय संबंधों का महत्व है ;
  - झूठे समाधानों का प्रचार-प्रसार / विमोचन, जो प्रकृति को बाज़ार में स्थान देते हैं, ईंधन का क्षरण करते हैं और हमारी मूल समस्याओं को संबोधित नहीं करते जैसे REDD (जैसे कार्बन ट्रेडिंग), को हतोत्साहित या निषिद्ध करना ;
  - आतंरिक रूप से आईयूसीएन अपनी स्वयं की भाषा को प्रतिबिबिंत करने का काम करे। उसकी विधियों और नीतियों को सामयिक कर भाषा, जिसमें प्रकृति पूरी तरह मानव संसाधन और सम्पत्ति है और जिसका सिर्फ मानव के लाभ और उपयोगिता (जैसे प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाएं) की तरह उपयोग किया जाता है, में बदलाव लाकर प्रकृति के सम्मान और पहचान की भाषा का निर्माण करना है जहां वह एक जीवित प्राणी / इकाई के रूप में हो (उदाहरण के लिए प्राकृतिक दुनिया, सभी जीवन और पृथ्वी समुदाय);

- ➢ 1982 के वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर को पुनर्जीवित करना और उसकी ओर कदम बढ़ाना ;
- ➢ एक पारिस्थतिक / पारिस्थितिक दृष्टि कोण (जैसे इको-क्षेत्र या जैविक क्षेत्र) से प्रशासन की पुनःकल्पना ;
- ➢ निर्णय लेने में एक समग्र और जीवन शैली के दृष्टि कोण को शामिल करना। सतर्क सिद्धांत, वैज्ञानिक ज्ञान व मानकों के सक्रिय रोकथाम और सख्त पालन की आवश्यकता (उदाहरण के लिए डबियो प्रो नेचुरा में: संदेह की स्थिति में प्रकृति के अनुरूप एक परपत्र अर्थव्यवस्था, इत्यादि)। ;
- ➢ प्रकृति के अधिकारों और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना और साझा करना, जिसमें नदियों के अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के लिए पृथ्वी कानून फ्रेमवर्क शामिल हैं ;
- ➢ IUCN के सभी प्रसंगों, परिचालन क्षेत्रों और कार्यक्रमों में प्रकृति के अधिकारों की मान्यता और प्रवर्तन की वकालत करना।

❖ युवाओं के लिए वैश्विक स्तर पर ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान के अधिक अवसर पैदा करना। संरक्षण से संबंधित घटनाओं और परियोजनाओं में समावेशिता सुनिश्चित करना, ताकि विविध युवा शामिल हो सकें। ऐसे स्थान का निर्माण हो जहां उनकी संलग्नता हो और उनके सशक्तिकरण बनने में वो स्थान सहायक हो जिससे उनकी आवाज को सुना जाए और सम्मान भी हो (जैसे अतिरिक्त आभासी और मुक्त युवा शिखर सम्मेलन और युवाओं के लिए प्रकृति का अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण) ;

- ➢ निर्णय के समय युवा और स्वयं प्रकृति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना (जैसे परिषद के सदस्य, आयोग, सरकारी निकाय और संस्थान)। उचित हितधारक जुड़ाव के लिए, स्वदेशी और स्थानीय समुदायों, युवाओं और प्रकृति की स्वयं की आवाज होनी चाहिए और उनके हितों और जरूरतों को ध्यान में रखना होगा ;
- ➢ युवाओं के लिए एक आईयूसीएन कमिशन (या प्रत्येक आयोग के भीतर काम करनेवाला समूह) बनाना ;
- ➢ क्रॉस-कटिंग और संयुक्त पहल, घटनाओं, चर्चाओं या परियोजनाओं के माध्यम से IUCN आयोगों के साथ प्रकृति के अधिकार को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए एक रणनीति तैयार करना ;
- ➢ विवेकपूर्ण प्रयासों से ऐसे स्कूली पाठ्यक्रम डिजाइन करना जिसमें प्रकृति और पृथ्वी-केंद्रित भाषा और जीवनशैली के अन्तःसम्बन्ध की शिक्षा हो, इनके बीच के अंतर को पाटने का काम हो, हमारे उत्पाद कहाँ से आते हैं, हमारे पास स्वच्छ पानी आदि कैसे हैं, इन सबकी समझ बनाने की पहल हो ;
- ➢ मोशन 056 के पारित होने का समर्थन - आगामी 2021 IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस में भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकपाल का निर्माण, और प्रकृति के लिए एक संरक्षक के रूप में स्थिति बनाने पर विचार ;

यह अनिवार्य है कि अब 'जीवन का संकट', जो सामने दिख रहा है, को रोकने के लिए, हमारी धारणाओं और मूल्यों को विकसित करने के लिए, जिसमें भाषा और शासन संरचनाएं शामिल हैं, जो पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के परस्पर संबंध का प्रतिनिधित्व करती हैं और जो मनुष्य और हमारी प्रणालियों को पृथ्वी और प्राकृतिक प्रणाली में गुंथा हुआ देखती है,a हम IUCN के महानिदेशक से इस घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र के सामने रखने की प्रार्थना करते हैं ।